भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4690

28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

†4690. श्री अनूप संजय धोत्रे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के वर्तमान दायरे का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, विशेषकर महाराष्ट्र में ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या कुशल सेवा प्रदायगी के लिए पहुंच में सुधार लाने, सामुदायिक स्वामित्व को समर्थकारी बनाने और सेवाओं की मांग करने, जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की कोई आवश्यकता है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) क्या कुछ राज्य खराब सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करती है।

विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में वंचित और अल्पसेवित समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए, महाराष्ट्र सहित देश में भारत सरकार द्वारा एनएचएम के तहत की गई विभिन्न पहलों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, निशुल्क दवा सेवा पहल, निशुल्क डायग्नोस्टिक सेवा पहल, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आशा, 24 x 7 सेवाएं और प्रथम रेफरल सुविधाएं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य के तहत विभिन्न गतिविधियां,

एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) रणनीति, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (पीएमटीबीएमबीए) और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम शामिल हैं।

1.76 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को सुदृढ़ करके व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान की जाती है। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं, संक्रामक रोगों, गैर-संचारी रोगों और अन्य स्वास्थ्य मुद्दों को शामिल करते हुए सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए निवारक, प्रोत्साहन, पुनर्वास और उपचारात्मक परिचर्या प्रदान करते हैं।

संचालित एएएम में उपलब्ध टेली-परामर्श सेवाएं लोगों को अपने घरों के नजदीक विशेषज्ञ सेवा प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं, जिससे भौतिक पहुंच, परिचर्या की लागत में बचत, सेवा प्रदाताओं की कमी और परिचर्या की निरंतरता सुनिश्चित करने जैसी चिंताओं का समाधान होता है। 28.02.2025 तक एएएम में किए गए कुल टेली-परामर्श 33.94 करोड़ हैं।

पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 64,180 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया गया था। पीएम-एबीएचआईएम के तहत किए गए उपायों का उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक और विशिष्ट सभी स्तरों पर परिचर्या की निरंतरता में स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमता विकसित करना है, ताकि वर्तमान और भविष्य की हामारियों/आपदाओं में प्रभावी ढंग से अनुक्रिया के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार किया जा सके।

पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) ने राज्यों में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से पांच वर्षों (2021-2026) की अवधि में कुल 70,051 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है।

ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति और महिला आरोग्य समिति जैसे सामुदायिक मंच और जन आरोग्य समिति जैसे सुविधा-आधारित मंच राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और स्वास्थ्य पहलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सहायक हैं। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों (एनक्यूएएस) के आकलन ने देश भर में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

*****